

I/3024584/2023

No. T-16017/21/2022-TFA
 Government of India
 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
 Department of Personnel & Training
 (Training Division)

....

Old JNU Campus, New Delhi
 Dated the 7th March, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Earmarking of at least 2.5% of Salary Budget for training and capacity building - reg.

The undersigned is directed to say that the National Training Policy, 2012, *inter alia*, recommends that each Ministry / Department / Organization set aside at least 2.5% of its salary budget for training (para 9.2 of NTP, 2012 refers).

2. In this regard, attention is drawn to the D/o Expenditure's Notification dated 16th December, 2022 (copy enclosed) conveying thereby amendment to Rule 8 of the Delegation of Financial power Rules, 1978, vide which a new Object Head, namely, 'Training Expenses' has been created.
3. This is for information and necessary action of all Ministries / Departments/ Organizations under Government of India.
4. Hindi version of this OM will follow.

Encl: As above.

Signed by Dasari Ramesh Babu
Date: 07-03-2023 15:15:54
Reason: (D. Ramesh Babu)
 Under Secretary to the Govt. of India

All the Ministries / Departments
 (As per the Standard List)

Copy to :

1. The Chief Executive Officer, Karmayogi Bharat - SPV, NDCC-II Building,
 Opp. Jantar Mantar, New Delhi.
2. NIC for uploading the OM on this Department's portal.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-17122022-241179
CG-DL-E-17122022-241179

अतिथारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-व्यवह (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मा. 5659।
No. 5659।

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(व्यव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5895(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 150 के माध्य पठित अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अनुसरण में, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये अप्रैल, 2023 की पहली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, में नियम, 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"B. विनियोग की प्राथमिक यूनिटें

(1) भारित व्यव के लिए अनुदान या विनियोग उस मानक उद्देश्य शीर्ष द्वारा वितरित किया जाता है, जिसके अधीन उसे लेखे में लिया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसा मानक उद्देश्य शीर्ष, जिसके सामने व्यव के लिए उपबंध अभिव्यक्त होता है, वह विनियोग की प्राथमिक यूनिट घटित करता है।

(2) इस प्राथमिक यूनिट के अंतर्गत अनुदान किए गए और भारित दोनों प्रकार के व्यव के लिए उपबंध हो सकेगा और उस व्यव में प्रत्येक की रकम अलग-अलग दर्शायी जाएगी।

(3) विनियोग या मानक उद्देश्य शीर्षों की प्राथमिक यूनिटें वे होंगी, जो भीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की गई हैं:

सारणी

सं. क्र.	क्र.	उद्देश्य-शीर्ष	विवरण/परिचयाद्
1	2	3	4
(क) राजस्व व्यव			
उद्देश्य-वेणी-। कर्मचारियों को प्रतिकर			
1	01	वेतन	इसमें एकलार ७(21) के अधीन यथा-परिचायित सरकारी कर्मचारियों का वेतन, बानदेव और इटीन वृत्तिका शामिल होगा। इसमें राज्यों के प्रमुखों तथा अन्य उच्च वर्गमान्य व्यक्तियों की परिलक्षियाँ और भत्ते, सल्कार भत्ता तथा विभागीय फंडों के कर्मचारियों को देय वेतन और एलटीसी छुट्टी का नकद भुगतान शामिल होगा।
2	02	मजदूरी	इसमें मजदूरों और कर्मचारियों की वर्तमान में आकस्मिक रूप से भुगतान की जाने वाली मजदूरी शामिल होगी।
3	05	पुरस्कार	इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते के अतिरिक्त योजना के अधीन प्राप्त होने वाले पुरस्कार शामिल होगे। इसमें बोनस तथा हिंदी प्रतियोगिता, आदि के नकद पुरस्कार भी शामिल होंगे।
4	06	विकिसा उपचार	इसमें सरकारी कर्मचारियों/ पेशनरों की विकिसा प्रतिपूर्ति/ उपचार के लिए भुगतान की गई रकम शामिल होगी।
5	07	भत्ते	इसमें यथा-अनुप्रयोग्य महाई भत्ता, आवास विकाया भत्ता, परिवहन भत्ता, विदेश भत्ता, नौन प्रैकिटमिंग भत्ता, प्रतिनिपुणित (छपूटी) भत्ता, व्यक्तिगत वेतन, परिचार विधोजन भत्ता, विदेश प्रतिकर (पहाड़ी लेज) भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, मुख्यालय भत्ता, समयोपरि भत्ता, बात विद्या भत्ता, ठूँडान कीस की प्रतिपूर्ति, राशन भत्ता, नकद जाने वाले राशन की लाशत, नियाचन-क्षेत्र भत्ता, बर्दी और वस्त्र भत्ता, मनोरंजन भत्ता, परियोजना भत्ता, विदेश प्रतिकर (दूरसंचयन) भत्ता, घराव जलबाहु भत्ता, शुलाई भत्ता, विदेश (छपूटी) भत्ता, राजि छपूटी भत्ता, जोखिम भत्ता, मुवरबन भत्ता, नकद रबरबाब भत्ता, देशभाल भत्ता, लिफ्लिट छपूटी भत्ता और उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त देय हो।
6	08	छुट्टी यात्रा रियायत	इसमें एलटीसी नियम की हृकदारी के अधीन परिवहन के अव्य किसी साधन का किराया/ हवाई/ रेल/ बस किराया शामिल होगा।
7	09	प्रशिक्षण व्यव	इसमें प्रशिक्षण पर किया गया व्यय शामिल होगा जैसे संदर्भ कीस और प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आकस्मिक खर्च सामग्री, आदि शामिल होंगे, परंतु इसमें परेस्ट या विदेश यात्रा खर्च, पर किया गया यात्रा खर्च शामिल नहीं होगा।
उद्देश्य-वेणी II- कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा			
8	04	पेशन प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद गवर्नरों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि को देय पेशन और सभी प्रकार के उपदान के भुगतान आदि सहित सभी पेशनिक कायदे शामिल होंगे। इसमें सेवा निधि अंशदान और अंशदाची भविष्य निधि में किया गया अंशदान, सेवानिवृत्ति या मूल्य, सेवा समाप्ति, आदि के समय छुट्टी के बदले नकद भुगतान भी शामिल होंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेशन प्रधानी (एनपीएस) के अधीन देय सरकार का योगदान भी शामिल होगा। तथापि, इसमें बृद्धावस्था पेशन जैसा सामाजिक सुरक्षा व्यय शामिल नहीं होगा।

सं. में में	सं. में	उद्देश्य-शीर्ष	विवरण/परिभाषा एवं
1	2	3	4
उद्देश्य-योगी III:- वस्तु और सेवाएं			
9	11	चरेलू यात्रा वर्ष	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत में सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर यात्रा व्यव शामिल होगा। इसमें भारत में यात्रा के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के टीए/डीए पर होने वाला व्यव भी शामिल होगा। इसमें सेवानिवृति के तासय पेशनमोगियों को देव स्थानान्तरण टीए भी शामिल होगा।
10	12	विदेश यात्रा का वर्ष	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत के बाहर सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर होने वाला वर्ष शामिल होगा। इसमें भारत के बाहर सरकारी दौरों पर गैर-सरकारी सदस्यों का टीए/डीए पर होने वाला व्यव भी शामिल होगा।
11	13	कार्यालय वर्ष	इसमें कार्यालय स्थापना के रथारक्षाद के लिए किए जाने वाले सभी आवर्ती और गैर-आवर्ती आक्रमिक व्यव जैसे स्टेशनरी, डाक प्रभार, कूटीपर प्रभार, टेलीफोन प्रभार, इंटरनेट प्रभार, वेबल बनेक्षण प्रभार, विजली प्रभार, जल प्रभार, सेवा कारार, सुरक्षा, अल्प ब्रह्मणि के लिए संविदा जाधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को रखने संबंधी व्यव, आउटसोर्स से आए कार्यालय परिचर, कार्यालय सहायक/डेटा एंट्री ऑपरेटर्स (ईईओ), हाउस कीपिंग, वर्डी/सूनिफार्म, नर्म और सर्व नीसम प्रभार, कीटनाशक नियंत्रण, रिफ्रेशमेंट, पुस्तकों और परिकार, आदर-सत्कार व्यव जिसमें विदेशी शिष्टमंडल का आतिथ्य, उपहार एवं स्मृति जिहन और कार्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन/कार्यवाला/ बैठकें शामिल होंगी तथा साथ ही अध्ययन सामग्री/फिट, जलपान, अध्ययन दौरी आदि से संबंधित सभी व्यव शामिल होगे। इसमें कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर और फिल्मस्कर की व्यारीव भी शामिल होंगे जो सरकार द्वारा समव-समय पर यात्राविनियित सीमा (एक लाख रुपए या तीन वर्ष की उपयोगी जीवनावधि, इनमें से कोई एक) से अधिक नहीं होगी। सरकार द्वारा समव-समव पर यात्राविनियित की गई समय-सीमा से अधिक के कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर और फिल्मस्कर को 'भवीत' एवं उपस्कर और 'फर्नीचर तथा फिल्मस्कर' नामक सुसंबत वस्तु शीर्ष के अडीन 'पूँजीगत' व्यव के रूप में बर्गीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, इसके उपयोग (कार्यालय या अन्यथा) के बावजूद यानों की छारीद को 'योटर यान' नामक सुसंबत पूँजीगत वस्तु के अडीन 'पूँजीगत' व्यव के रूप में बर्गीकृत किया जाना चाहिए।
12	14	भूमि और भवनों के लिए किराया, दरे और कर	इसमें भवनों (भवनों से भिन्न गैर-आवासीय या आवासीय या अन्य संरचनाओं) के किराए, नगरपालिका दरे और कर तथा किराए पर जी गई भूमि और भवनों के लिए पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को अंतरणीय नहीं है, का व्यव शामिल होगा। तथापि, भूमि और भवनों के लिए पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को अंतरणीय है, को 'भूमि' और 'भवन एवं संरचनाएं' नामक सुसंबत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत 'पूँजीगत' व्यव के रूप में बर्गीकृत किया जाएगा।
13	15	रोबल्टी	इसमें पेटेट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रिट, प्रकाशन, संगीत, आदि की रोबल्टी पर व्यव शामिल होगा।
14	16	मुद्रण और प्रकाशन	इसमें कीमती सामान, लेखापरीक्षा और लेखा रिपोर्ट, फॉर्म, स्टेशनरी, कार्यालय कोट, मैत्रजल और अन्य इलानेज, ई-मूल्स, ई-मैगजीन, हिंडीटल रूपाई, पेन ड्राइव, सीडी, आदि, सहित समाचार-वज्र और मैगजीन की छापाई पर होने वाला व्यव शामिल होगा, परंतु इसमें प्रभार व्यवधी सामग्री की छापाई पर व्यव शामिल नहीं होगा जिसे विज्ञापन और प्रचार के अडीन बर्गीकृत किया जाएगा।
15	18	अन्यों के लिए किराया	इसमें उपस्कर और अन्य विभिन्न सदों जैसे कार्यालय उपस्कर, परिवहन, कंपूटर और महावक उपस्कर, संचार उपस्कर, एवर-कंडीशनिंग, हीटिंग और रेफ्रिजरेटिंग उपस्कर, सुरक्षा उपस्कर,

मं. क्र.	मं. क्र.	उद्देश्य-सीरीज़	विवरण/परिभाषाएं
1	2	3	4
			प्रसारण और रिकॉर्डिंग उपलब्ध, निर्गति उपलब्ध, कृपि उपलब्ध, बागवानी उपलब्ध, चिकित्सा उपलब्ध, फर्मिचर और फिक्स्चर को किटाएं पर लेने संबंधी व्यव शामिल होंगे। इसमें उपलब्ध और अन्य बदों के लिए पट्टा प्रभार भी शामिल होगा, जिसका स्वामित्व सरकार को अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तथापि, उपलब्ध और अन्य बदों के लिए पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को अंतर्राष्ट्रीय है, को संबंधित बन्दु शीर्षों के अधीन 'पूर्णीचित व्यव' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
16	19	डिजिटल उपकरण	इसमें हाईवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद या विकास, जहाँ व्हिकिंग वद की जागत सरकार द्वारा समय-समय पर याचिनियित सीमा (एक लाख रुपए वा तीन वर्ष वद उपयोग समय, दोनों में से कोई एक) से अधिक न हो, पर राजस्व व्यव के रूप में वर्गीकृत किए आने वाले व्यव शामिल होंगे। तथापि, वह सीमा एंटर कंटेनर जैसी उपयोग सामग्रियों पर जागू नहीं होगी, जिन्हें राजस्व व्यव के अधीन वर्गीकृत किया गया है।
17	21	सामग्री और आपूर्तियाँ	इसमें विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों, सामग्री और अंडार, जादि, विभिन्न आपूर्तियाँ, कृपि आपूर्तियाँ, पशुधन आपूर्तियाँ, सफाई सामग्रियाँ, अस्पताल औषधियाँ और दवाएं, पशु औषधि, रसायन तथा उर्वरक, प्रबोधशाला आपूर्तियाँ, अतिरिक्त युवें, कपड़े और तम्बू पर खर्च शामिल होंगे।
18	22	हथियार और गोला-बारूद	इसमें पुलिस और अन्य अद्दे-स्थापनाओं पर हथियार और गोला-बारूद का राजस्व व्यव शामिल होगा।
19	23	राशन की लागत	इसमें भारियों और ऐंट्रीव सरख युलिस बलों को प्रदान किए जाने वाले राशन की खरीद पर खर्च शामिल होगा।
20	24	ईंधन और स्लेट्रक	इसमें पेट्रोन, तेल, स्लेट्रक तथा अन्य ईंधन जैसे सीएनजी, डीजल जादि पर खर्च शामिल होगा।
21	26	विज्ञापन और प्रचार	इसमें प्रिंट भीडिया, टीवी भीडिया या इंटरनेट वा भोवाइल नेटवर्क वा अन्य दृश्य-व्यव प्रचार या ऐले और प्रदर्शनी जैसे विभिन्न भीडिया के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर प्रचार सामग्री की विक्री और मुद्रण के लिए अधिकतर्कों को कमीशन सहित व्यव शामिल होंगे।
22	27	लघु सिविल तथा विज्ञली के कार्य	इसमें कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, अन्य भवनों के मामूली सिविल और विज्ञली के कार्यों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यव तथा भीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव किए गए डीखल जेनेसेट, जादि, के रखरखाव तथा संचालन पर होने वाला व्यव शामिल होगा।
23	28	व्यावसायिक सेवाएं	इसमें सरकार वो सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं, कलाकारों, लैंकों, जादि, की सेवाएं लेने पर होने वाला व्यव शामिल होगा, जिसमें विधिक सेवाएं, परामर्श फीस, लेखा-परीक्षा फीस, शिक्षण और प्रशिक्षण फीस, कलाकारों की भुगतान, प्रश्न बनाने वालों वा पर्यवेक्षकों या अतिथि वक्ताओं को पारिषिक, सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य विभागों को भुगतान करना, विभागीय परीक्षा ज्ञायीजित करने के लिए अभिकरणों को किया जाने वाला भुगतान/व्यव शामिल है।
24	29	मरम्मत और रखरखाव	इसमें यशीनरी और उपलब्ध, कारबिल उपलब्ध, अन्य कारबिल उपलब्ध के लिए उपलब्ध, कारबिल उपलब्ध के लिए डिजिटल उपलब्ध, कारबिल उपलब्ध, अन्य कारबिल उपलब्ध के लिए फर्मिचर और फिक्स्चर, यान (कारबिल) कारबिल उपलब्ध के लिए भोटर यान और गैर-भोटर यान जैसे साइकिल, रिक्षा, सुकड़ा-गाड़ी, ट्रोली और नाव जादि), नुनियादी दौचा परिसंपत्तियों (इसमें

क्रमांक	वर्ष	उद्देश्य-शीर्ष	विवरण/परिभाषाएं
1	2	3	4
			यामृती नाबरिक और इनेक्स्ट्रक्शन कार्य जैसे लाइनें, पुलों, रेलवे का रोलिंग स्टॉक, राजमार्ग, बंदरगाह, जहाज, नावयान, हेलीकाप्टर, रक्षार, होबरकाप्ट, हवाई अड्डे या अन्य त्रिपिण्डी द्वारा पर नियारक और प्रचालनात्मक रखरखाव व्यव शामिल होता, दूसरे और मंधें, हथियार और गोला-बाजान आदि जैसे उपस्थितों की बरमात और रखरखाव (इसमें सभी रखरखाव संबंधी अभियां शामिल हैं) पर व्यव शामिल होंगे, लेकिन उन्हें, मध्यावधि पुनर्वास, ऐट्रोकिटिंग और/वा रिकंडिशनिंग का व्यव शामिल नहीं होगा।
25	39	बैंक और अभिकरण प्रभार	इसमें बैंक सेवा प्रभार, अभिकरण प्रभार, एमडीआर प्रभार, बैंकों की प्रत्यक्ष साम्भ बंदरग प्रभार और मौद्रिक संबंधज्ञात वाले बाती सुविधा फीस के लिए अन्य कोई प्रभार शामिल होगे।
26	40	अवाई और पुरस्कार	इसमें तरकार द्वारा प्रतिचित्त व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाने वाले अवाई और पुरस्कार शामिल होंगे।
उद्देश्य वर्णी IV – सहायता			
27	31	सहायता अनुदान-सामान्य	इसमें बेतन से छिन भुगतान के लिए जारी सहायता अनुदान और पूर्जीगत अस्तियों का सूजन भी शामिल होगा। इसमें कल्पाण संबंधी कियाकरनाओं पर व्यव भी शामिल होगा।
28	32	अनुदान	इसमें सबस्पता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठनों का दिए गए अंशदान शामिल होगा। इसमें सबछ निधियों के लिए स्वादत निकायों या पीएसपू या पीएसडी में किए गए अंतरण शामिल नहीं होंगे।
29	33	संबिंदी	इसमें सरकार की विभिन्न योगनाओं के अधीन जारी संबिंदी शामिल होगी।
30	34	स्थानवृत्ति	इसमें विभिन्न संस्थानों या संगठनों या फाकदारहियों या अक्षियों को जारी की गई स्थानवृत्ति की रकम शामिल होगी।
31	35	पूर्जीगत अस्तियों के गृहन के लिए अनुदान	इसमें पूर्जीगत अस्तियों के सूजन के लिए भुगतान हेतु जारी अनुदान सहायता शामिल होनी। इसमें अवधार्यता अंतर निधियन (चबहारपता अंतर निधियन योजना के अधीन चलने वाली परियोजनाओं पर व्यव) भी शामिल होगा।
32	36	सहायता अनुदान - बेतन	इसमें बेतन के भुगतान के लिए जारी सहायता अनुदान शामिल होगा।
33	37	सहायता सामग्री और उपस्थक	इसमें मंत्रालयों या विभागों या अन्य सरकारों या संगठनों को अंतरित सहायता सामग्री और उपस्थकों का मूल्य शामिल होगा। इसमें अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों को वस्तु के रूप में दिए गए अनुदान भी शामिल होंगे।
उद्देश्य वर्णी V – विविध राजस्व व्यव			
34	41	सुप सेवा व्यव	इसमें सुप सेवाओं पर व्यव शामिल होगा।
35	44	विनियम से हानि	इसमें भारतीय रूपए में जिवेशी मुद्रा के विनियम की दर में अंतर के कारण होने वाली हानि शामिल होगी। जिवेशी संसाधनों से इति छह दर में अंतर के कारण होने वाली हानि और उसके भुगतान को भी इस बरतु शीर्ष के अधीन विकलित किया जाएगा।
36	45	न्याय भुगतान	इसमें पूर्जी पर व्याज का भुगतान और ऋणों पर छूट शामिल होगी।

सं. क्र.	प्र.	उद्देश्य-शीर्ष	विवरण/परिभाषा एवं
1	2	3	4
37	49	अन्य राजस्व व्यव	इसमें वैवेकिक अनुदान से भुगतान, अन्य छूट, शीम और जुर्माना, सीमा शुल्क प्रतिकर, प्रतिवहन व्यापार, उपहारों का नीशन मूल्य, अधिकारियों के आवासों के लिए खरीदे गए, या आपूर्ति किए गए समाचार-पत्रों की प्रतिपूर्ति तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए श्रीफोकेस या बहिनाओं के लिए पर्यंत की खरीद या प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं। अन्य कोई व्यव जिसे इन विनियिष्ट वस्तु शीर्षों में से किसी के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, को इस शीर्ष में से विकलित किया जाएगा। इसमें उन वीजनाओं, उप-दोजनाओं या संघठनों का व्यव भी शामिल होगा जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया जावा है।
(ब) पूर्णीगत व्यव (आस्तियां)			
उद्देश्य वेभी VI- गैर-वित्तीय आस्तियां (नियत और अमूर्त आस्तियां)			
38	51	मोटर यान	इसमें लड़क पर चलने वाली बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जैसे मोटर यानों की खरीद, शामिल होगी जाहे उनका उपयोग जो भी हो।
39	52	उपस्कर और बैंगार	इसमें मरीनरी तथा यंत्र (मोटर यान और आईसीटी उपस्कर से भिन्न), विजनी और इलेक्ट्रोनिक उपस्कर, विभिन्न उपस्कर, स्टीक और अप्टिकल उपस्कर, पट्टी और कलाई, सर्वील वाच्यव और थेल के सामान, आदि के, अलावा अन्य मरीनरी और उपस्कर की खरीद, आदि शामिल होगी, जिसका मूल्य एक लाख रुपए से अधिक हो या जिसका तीन वर्षों का उपयोग समय हो, दोनों में से किसी एक को, इस शीर्ष के अधीन बुक करना आवश्यक होगा।
40	71	सूचना, कंप्यूटर, ट्रांसफोर्मर (आईसीटी) उपस्कर	इसमें सूचना, कंप्यूटर, कंप्यूटर ट्रांसफोर्मर (आईसीटी) उपस्कर, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और ट्रांसफोर्मर यंत्र (कंप्यूटर/सेपटीप, प्रोजेक्टर, आदि) तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका मूल्य सीमा से अधिक हो (एक लाख रुपए या तीन वर्ष का उपयोग समय हो, दोनों में से कोई एक) तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसका उपयोग छवि, डेटा और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है, की खरीद शामिल होगी।
41	72	भवन और संरचनाएं	इसमें कार्यालय भवन, आकाशीय भवन, अन्य भवन और संरचनाएं जैसे अस्पताल, प्रबोशशालाएं, सभागार, प्रकाश स्टेन, आचय आदि, सार्वजनिक रसायनक जैसे घरिमाएं, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित कल्पने और भूमि सुशार शामिल होगी।
42	73	अवसंरचना त्वक आस्तियां	इसमें शहर, पुल, सुरंग, जिवाई परियोजनाएं, जेल अवसंरचना, जल और शीवेज परियोजनाएं, रेलवे आस्तियां, जहाजों, पालनों, उपचाहों, उपचह, प्रदेशपाल यान, विमानपत्तनों, बायुयानों, मोटर नौकाएं, रेलवे लोकोमोटिव और लोलिंग स्टॉक, अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (केवल लाइनें, सीवेज सिस्टम, बर्धा जल संचयन, सौर दणाली, ट्रांसफोर्मर टॉवर, पारेशन लाइनें और जिसकी टॉवर, आदि) जैसी अवसंरचनात्मक आस्तियों की खरीद शामिल होगी।
43	74	फर्नीचर और फिल्म्स	इसमें कार्यालय उपयोग और कार्यालयका उपयोग के लिए, ब्रेशोल्ड सीमा से अधिक फर्नीचर और फिल्म्स की खरीद पर व्यव (एक लाख रुपए से अधिक या उपयोगी शीवन के तीन वर्ष, दोनों में से कोई एक) शामिल होगा।
44	75	हथियार और गोला वाल्ड (पूर्णीगत)	इसमें पूर्णी प्रकृति के हथियारों और गोला-वाल्ड की खरीद शामिल होगी।
45	76	विरासत आस्तियां और एन.ई.सी.का	इसमें 1/- रुपए के नामगाज मूल्य पर आस्तियां एजिस्टर में भाग्यता-प्राप्त और अधिलिङ्कित विरासत आस्तियों का पुनर्वाप, नीरोड्डार, ट्रोफिडिंग और वज्रचन शामिल होगा जो 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' है। इसमें नविन कला तथा सांस्कृतिक और पुरातात्त्विक महत्व की वस्तुओं की

क्र.	क्र.	उद्देश्य-शीर्ष	विवरण/परिभाषाएं
1	2	3	4
		उन्नयन/ बृद्धि	खरीद पर व्यव भी शामिल होगा।
46	77	अन्य नियन्त्र शास्त्रियां	इसमें पुनर्कालय की पुस्तके और प्रकाशन, बृक्ष, फसलें और गीथे जैसी अन्य नियन्त्र आविष्यों की खरीद शामिल होती है, जिनका प्राकृतिक विकास और पुनर्जनन संस्थागत यूनिटों के नीचे नियंत्रण में होता है, गैर-नोटर चान, बैतों, साइकिल, रिक्षा, छकड़ा, ट्रॉली, नाव आदि।
47	78	भूमि	इसमें भूमि जिसमें गिरी की ऊपरी परत सहित जबीन, कार्यालय और आवासीय भवन के लिए भूमि तथा अन्य संबद्ध सतही जल (जलाशय, झीलें, नदियाँ और अन्य जलरेशीय जल) शामिल है, जिन पर स्वामित्व अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।
48	79	भूमि से जिन्हें पैर-उत्पादित शास्त्रियां	इसमें भूमि की सतह पर या भूमिगत छनिज और ऊर्जा भंडार शामिल होते, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, शातु के अवस्था जैसे नौजू, गैर-सौह और कीचड़ी शातु के अवस्था), गैर-शातु छनिज भंडार (पत्थर की खदान, गिरी और रेत के गहरे, रामायनिक और उर्वरक छनिज भंडार, और नमक, काढ़ी, जियाम, प्राकृतिक लगि पत्थर, दामर, बिटुमेन और पीट शहित) जल संग्रहण, लेवल एक चार पैदावार देने वाले और चार-चार पैदावार देने वाले गीथे जिनके लिए स्वामित्व अधिकार दिया जाता है, लेकिन जिसके लिए प्राकृतिक विकास या पुनर्जनन किसी भी संस्थागत यूनिटों के प्रबल क्षमता नियंत्रण, उत्पादन और प्रबंधन के अधीन नहीं है जैसे अद्यते गंगन और मत्त्व पालन जिनका आवासायिक रूप से शोषण किया जा सकता है।
49	80	अमूर्त शास्त्रियां	इसमें कौपी राहट, पेटेंट, साख, बौद्धिक संपदा, आदि, पर किया गया व्यव शामिल होगा।

उद्देश्य शेणी VI- वित्तीय शास्त्रियां

50	54	निवेश	इसमें सरकार द्वारा शेषरों की खरीद और इक्षिटी पर किया गया निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, साबधि और उसी दिपाजिट में निवेश तथा अन्य निवेश शामिल होंगे।
51	55	कृषि और अविभ	इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अधिक शामिल होंगे।
52	56	उद्धार की अदायकी	इसमें सरकार द्वारा उद्धारी का पुनर्भुनतान शामिल होगा।
53	57	अभिदान	इसमें पूर्जीगत स्वरूप के सरकार द्वारा दिए गए अभिदान शामिल होंगे।
54	60	अन्य पूर्जीगत व्यव	इसमें अन्य सभी पूर्जीगत व्यव शामिल होंगे जिन्हें उपरोक्त किसी भी पूर्जी वहन शीर्ष में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(ग) - लेखा समायोजन

उद्देश्य शेणी VII- लेखा समायोजन

55	43	उच्चत	इसमें लेखा के अंतिम शीर्ष के अधीन समायोजन के लिए पूर्ण और के अभाव में उच्चत शीर्षों के अधीन रखी गई रकम शामिल होगी।
56	61	अबक्षयण	इसमें काणिजिक विभागों द्वारा आस्त्रियों पर लगाया गया अबक्षयण शामिल होगा।
57	62	आरक्षितियां	इसमें भंडार के प्रावधान शामिल होंगे।
58	63	अंतर लेखा शेत्रण	इसका उपयोग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में रकम के अंतरण के लिए किया जाएगा।

क्र. मा. ख.	क्र. मा. ख.	उद्देश्य-शीर्ष	दिवारण/परिभाषाएं
1	2	3	4
59	64	हानियों को बढ़ावा देने में जालना	इसमें अपरिवर्तीय जहाज, व्यापार हानि को बढ़ावा देने में जालना शामिल होगा।
60	69	प्राप्तियों पदाएं	इसमें प्राप्तियों को कम करके समायोजित की गई प्राप्ति शीर्ष से भुगतान की गई रकम शामिल होती।
61	70	बम्भुतियों पदाएं	इसका प्रयोग व्यय के घटने से अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जाएगा।

टिप्पणी: आस्तियों के सुधार या उच्चतर पर व्यय, जिसमें आस्तियों का पुनर्वास, पुनरुद्धार, पुनर्निर्धारण और भूमि, भवन, उपस्कर और जन्म गैर-विधीय आस्तियों का पट्टा प्रभार शामिल है, जिसका स्वामित्व सरकार की अंतरणीय होता, को संबंध आस्तियों के साथ बस्तु शीर्ष वर्ग - पूर्जीवत व्यय (आस्ति) में बुक किया जाएगा।

(4) वित्त मंत्रालय, उप-नियम (3) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्राथमिक यूनिटों में कोई अन्य प्राथमिक यूनिट जोड़ सकेगा या ऐसी यूनिटों का पूर्णतः एक भिन्न सेट विहित कर सकेगा।

(5) अनुदान की विस्तृत मांग वैयार करने के लिए संख्यात्मक संहिताकरण के संबंध में भारत सरकार के विभाग नियमितिशील को ध्यान में रखेंगे, अर्थात् :-

(i) अनुदान की विस्तृत मांगों में गमीकरण के स्तरों की संख्या नीचे सारणी में दृग्गत की गई मानक छह स्तरों की होगी:

क्र.सं. (1)	शीर्ष का प्रकार (2)	संहिताकरण (3)
1.	मुख्य शीर्ष	- 4 अंक (प्रकार्य)
2.	उप-मुख्य शीर्ष	- 2 अंक (उप-प्रकार्य)
3.	लघु शीर्ष	- 3 अंक (कार्यक्रम)
4.	उप-शीर्ष	- 2 अंक (योजना)
5.	विस्तृत शीर्ष	- 2 अंक (उप-योजना)
6.	उद्देश्य-शीर्ष	- 2 अंक (विनियोग या उद्देश्यशीर्ष की प्राथमिक यूनिट)

(ii) संघ और राज्यों के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा मुख्य, उप-मुख्य, लघुशीर्षों, उप-शीर्षों तथा विस्तृत शीर्षों के लिए समनुदेशित संख्यात्मक संहिता संख्याएं अनुदान के लिए विस्तृत मांगों में अनुसरित की जाएंगी;

(iii) राजस्व और पूर्जीवत व्यय में अंतर, शासकीय लेखा नियम, 1990 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

[पा. सं. 01(14)/2016-ई.II(क)]

अधिनाश के, नीलांकर, उप सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र का आ संख्यांक 2131 में तारीख 22 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संक्षोषित किए गए हैं।

(i)	अधिसूचना	का.आ. 1187,	दिनांक 9.6.1979
(ii)	..	का.आ. 2942,	दिनांक 1.9.1979
(iii)	..	का.आ. 2611,	दिनांक 4.10.1980.
(iv)	..	का.आ. 2164	दिनांक 15.8.1981
(v)	..	का.आ. 2304,	दिनांक 5.9.1981.
(vi)	..	का.आ. 3073,	दिनांक 4.9.1982.
(vii)	..	का.आ. 4171,	दिनांक 11.12.1982.
(viii)	..	का.आ. 1314,	दिनांक 26.2.1983
(ix)	..	का.आ. 2502,	दिनांक 4.8.1984
(x)	..	का.आ. 22,	दिनांक 5.1.1985.
(xi)	..	का.आ. 1958,	दिनांक 11.5.1985.
(xii)	..	का.आ. 3082,	दिनांक 6.7.1985.
(xiii)	..	का.आ. 3974,	दिनांक 24.8.1985.
(xiv)	..	का.आ. 5641,	दिनांक 21.12.1985.
(xv)	..	का.आ. 1548,	दिनांक 19.4.1986.
(xvi)	..	का.आ. 3183,	दिनांक 20.9.1986.
(xvii)	..	का.आ. 3787,	दिनांक 8.11.1986.
(xviii)	..	का.आ. 2508,	दिनांक 19.9.1987.
(xix)	..	का.आ. 3092,	दिनांक 7.11.1987.
(xx)	..	का.आ. 3581,	दिनांक 10.12.1988.
(xxi)	..	का.आ. 641,	दिनांक 17.3.1990.
(xxii)	..	का.आ. 1469,	दिनांक 26.5.1990.
(xxiii)	..	का.आ. 2173,	दिनांक 18.8.1990.
(xxiv)	..	का.आ. 3033,	दिनांक 17.11.1990.
(xxv)	..	का.आ. 3414,	दिनांक 22.12.1990.
(xxvi)	..	का.आ. 534,	दिनांक 28.2.1991.
(xxvii)	..	का.आ. 2235,	दिनांक 24.8.1991.
(xxviii)	..	का.आ. 547(इ)	दिनांक 24.7.1992.
(xxix)	..	का.आ. 486,	दिनांक 13.3.1993.
(xxx)	..	का.आ. 1292,	दिनांक 12.6.1993.
(xxxi)	..	का.आ. 685,	दिनांक 12.3.1994.
(xxxii)	..	का.आ. 1232,	दिनांक 28.5.1994.
(xxxiii)	..	का.आ. 1945,	दिनांक 13.8.1994.
(xxxiv)	..	का.आ. 2451,	दिनांक 24.9.1994.
(xxxv)	..	का.आ. 174,	दिनांक 28.1.1995.
(xxxvi)	..	का.आ. 670(अ),	दिनांक 30.9.1996.
(xxxvii)	..	का.आ. 665(अ),	दिनांक 5.8.1998.
(xxxviii)	..	का.आ. 1835	दिनांक 19.9.1998.

(xxxix)	..	का.आ. 2274,	दिनांक 14.8.1999.
(xxxx)	..	का.आ. 3054,	दिनांक 23.10.1999.
(xxxxi)	..	का.आ. 2946,	दिनांक 3.11.2001.
(xxxxii)	..	का.आ. 3661,	दिनांक 23.11.2002.
(xxxxiii)	..	एफ.1(11)-ई.॥(प)०३	दिनांक 16.09.2003
(xxxxiv)	..	का.आ. 1970	दिनांक 14.7.2007
(xxxxv)	“	का.आ. 1370	दिनांक 29.5.2010
(xxxxvi)	“	का.आ. 3624	दिनांक 22.12.2012

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

S.O. 5895(E).—In pursuance of clause (3) of article 77 read with article 150 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (Amendment) Rules, 2022.
 (2) They shall come into force on and from the 1st day of April, 2023.
2. In the Delegation of Financial Power Rules, 1978, hereinafter referred to as the principal rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

“8. Primary units of Appropriation.—

- (1) A Grant or Appropriation for charged expenditure is distributed by standard Object Heads under which it shall be accounted for and each such standard Object Head, against which the provision for expenditure appears, constitutes a primary unit of Appropriation.
- (2) The primary unit may include provision for both voted and charged expenditure and in that case the amount of each is shown separately.
- (3) The primary units of Appropriation or standard Object Heads shall be as specified in the table below:

TABLE

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
(A) Revenue Expenditure			
Object Class 1- Compensation to Employees			
1.	01	Salaries	It will include pay of the Government employees as defined under FR 9 (21), honorarium to Government servant and stipend to interns. It will also include expenditure on emoluments and allowances of Heads of States and other high dignitaries including Sumptuary Allowance, salary payable to the staff of Departmental canteens and leave encashment on LTC.
2.	02	Wages	It will include wages of labourers and of staff at present paid out of contingencies.
3.	05	Rewards	It will include rewards under a scheme given to the Government employees in addition to their pay and allowances. It will also include payment of bonus and cash awards for Hindi Pratiyogita, etc.
4.	06	Medical Treatment	It will include amount paid towards medical reimbursements / treatment of the Government employees/ pensioners.

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	07	Allowances	It will include as applicable the Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, Foreign Allowance, Non Practicing Allowance, Deputation (Duty) Allowance, Personal Pay, Family Planning Allowance, Special Compensatory (Hill Areas) Allowance, Tribal Area Allowance, Hard Area Allowance, Headquarter Allowance, Overtime Allowance, Children Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fee, Ration Allowance, Cost of Ration given in cash, Constituency Allowance, Uniform and Clothing Allowance, Entertainment Allowance, Project Allowance, Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Washing Allowance, Special (Duty) Allowance, Night Duty Allowance, Risk Allowance, Sunderban Allowance, Cash Handling Allowance, Caretaking Allowance, Split Duty Allowance and any other allowance in addition to above which is payable to the Government employees in addition to their pay.
6.	08	Leave Travel Concession	It will include air/rail/bus fare/fee of any other mode of transport entitled under LTC Rule.
7.	09	Training Expenses	It will include expenditure on cost of training such as fees paid, contingencies, materials, etc., for participating in the training, workshops but exclude expenditure on domestic or foreign travel expenses.
Object Class II-Social Security of Employees			
8.	04	Pensionary Charges	It will include all pensionary benefits including payment of pensions and gratuity in all forms to the Government employees, members of Parliament, freedom fighters, etc. It will also include contributions to service funds and contributory provident funds and payment of leave encashment at the time of retirement or death, termination of service, etc. It will also include Government's contribution payable under National Pension System (NPS) for Government employees. This will, however, not include social security expenditure such as old age pension.
Object Class III - Goods and Services			
9.	11	Domestic Travel Expenses	It will include travel expenses on official tours and transfers of the Government employees within India. This will also include expenditure on TA / DA to non-official members on account of travel in India. It will also include transfer TA payable to pensioners at the time of retirement.
10.	12	Foreign Travel Expenses	It will include expenses on official tours and transfers of the Government employees outside India. This will also include expenditure on TA/ DA to non-official members going on official tour abroad.
11.	13	Office Expenses	It will include all recurring and non-recurring contingent expenses incurred for the maintenance of office establishment such as, stationery, postage charges, courier charges, telephone charges, internet charges, cable connection charges, electricity charges, water charges, service agreements, security, expenditure relating to hiring of retired Government servants on short term contract basis, outsourced office attendants, office assistants/Data Entry Operators (DEO), house-keeping, liveries/uniforms, hot and cold weather charges, pest control, refreshment, books and periodicals, hospitality expenses including entertainment of foreign delegates, gifts and souvenirs and conferences/ seminars workshops/meetings convened by office including all related expenses on study material/ kits, refreshments, study tours, etc. It will also include purchase of office equipment, furniture and fixtures not exceeding the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, as decided by the Government from time to time. The office equipment and furniture and fixtures exceeding the threshold limit as decided by the Government from time to time should be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Head 'Machinery and Equipment' and 'Furniture and Fixtures'. Purchase of vehicles, however, irrespective of its usage (office or otherwise) should be classified as 'capital' expenditure under the relevant capital Object Head 'Motor Vehicles'.

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	14	Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings	It will include expenditure on rent for buildings (non-residential or residential or structures other than buildings), municipal rates and taxes and lease charges for rented land and buildings, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for land and buildings, the ownership of which is transferable to Government, will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads 'Land' and 'Buildings and Structures'.
13.	15	Royalty	It will include expenses on royalties on patents, designs, trademarks, print, publishing, music, etc.
14.	16	Printing and Publication	It will include expenses on printing of valuables, printing of audit and accounts reports, forms, stationery, office codes, manuals and other documents, newspaper and magazines including e-books, e-magazines, digital printing, pen drive, CD, etc., but exclude expenses on printing of publicity material which shall be classified under Advertising and Publicity.
15.	18	Rent for others	It will include expenses on rent for equipment and other various items like office equipment, transport, computer and ancillary equipment, communication equipment, air-conditioning, heating and refrigerating equipment, security equipment, broadcasting and recording equipment, construction equipment, agricultural equipment, horticultural equipment, medical equipment, furniture and fixtures. It will also include lease charges for equipment and other items, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for equipment and other items, the ownership of which is transferable to Government will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads.
16.	19	Digital Equipment	It will include expenses to be classified as revenue expenditure on procurement or development of hardware and software where the cost of individual item does not exceed the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two as decided by the Government from time to time. The threshold limit will, however, not apply to the consumables like toner and cartridge for printer shall be classified under revenue expenditure.
17.	21	Materials and Supplies	It will include expenses on various kinds of supplies, materials and stores etc., such as, medical supplies, educational supplies, agricultural supplies, livestock supplies, cleaning materials, hospital drugs and medicines, veterinary drugs, chemicals and fertilizers, lab supplies, spare parts, clothing and tentage.
18.	22	Arms and Ammunition	It will include revenue expenditure on arms and ammunitions on police and other para-establishments.
19.	23	Cost of Ration	It will include expenditure on procurement of ration provided to police and central armed police forces.
20.	24	Fuels and Lubricants	It will include expenditure on petrol, oil, lubricants and other fuels like CNG, diesel, etc.
21.	26	Advertising and Publicity	It will include expenses including commission to agents for sale and printing of publicity material on advertising and publicity through various media such as print media, TV media or outdoor media or Internet or mobile network or other audio-visual publicity or fairs and exhibition.
22.	27	Minor civil and electric Works	It will include expenditure on repairs and maintenance of minor civil and electrical works of office buildings, residential buildings, other buildings and expenditure on running operation and maintenance (ROM) of diesel genset, etc., maintained by the CPWD.
23.	28	Professional Services	It will include expenses on engagement of professionals, consultants, artists, banks, etc., for providing services to the Government which include legal services, consultancy fees, audit fees, teaching and training Fees, payments to artists, remunerations to question setters or invigilators or guest speakers,

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
			payments to other departments for services rendered, payment or expenses to agencies for conducting departmental examination.
24.	29	Repair and Maintenance	It will include expenses on repair and maintenance (including all maintenance contract) of equipment such as machinery and equipment, office equipment, equipment for other functional use, digital equipment for office use, digital equipment for functional use, furniture and fixtures for office, furniture and fixtures for other functional use, vehicles (including motor vehicles and non motor vehicles like bicycle, rickshaw, carts, trolleys and boat, etc., for office or functional use), infrastructural assets (It will include expenses on preventive, operating maintenance of Infrastructural assets other than minor civil and electrical works like lines, bridges, rolling stocks of railways, roads, highways, ports, ships, aircrafts, helicopters, radars, hovercrafts, airports or other infrastructures), tools and plants, arms and ammunitions, etc., but exclude expenditure on upgradation, midlife rehabilitation, retrofitting and or reconditioning.
25.	39	Bank and Agency charges	It will include bank service charges, agency charges, MDR charges, direct benefit transfer charges to banks and any other charges for convenience fee performing monetary transactions.
26.	40	Awards and Prizes	It will include expenses on awards and prizes given by the Government to the eminent persons and organisations.
Object Class IV- Aid and Assistance			
27.	31	Grants-in-aid - General	It will include Grants-in-aid released for payments other than salaries and creation of capital assets. It will also include expenditure on welfare activities.
28.	32	Contribution	It will include the contributions made to international or national organisations related to membership. This will not include transfers made to autonomous bodies or PSUs or PSBs for corpus funds.
29.	33	Subsidies	It will include subsidies released under various schemes of the Government.
30.	34	Scholarships	It will include the amount of scholarship released to various institutions or organisations or beneficiaries or individuals.
31.	35	Grants for creation of Capital Assets	It will include Grants-in-aid released for payment for creation of capital assets. It will also include Viability Gap Funding (Expenditure on the projects run under Viability Gap Funding Scheme).
32.	36	Grants-in-aid - Salaries	It will include grants-in-aid released for payment of salaries.
33.	37	Aid Material and Equipment	It will include value of aid material and equipment transferred to Ministries or Departments or other Governments or organisations. It will also include grants given in kind to grantee bodies.
Object Class V-Misc. Revenue Expenditure			
34.	41	Secret Service Expenditure	It will include expenses on secret services.
35.	44	Loss in Exchange	It will include the loss due to difference in the rate of exchange of foreign currency in Indian rupees. The loss due to difference in the rate of exchange at the time of receipts loans from foreign resources and repayment thereof shall also be debited under this Object Head.
36.	45	Interest Payments	It will include payment of interest on capital and discount on loans.
37.	49	Other	It will include payment out of discretionary grant, other discounts, fees and fines,

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Revenue expenditure	custom duty compensation, commitment charges, notional value of gifts, reimbursement of newspapers purchased or supplied to officer's residence and purchase or re-imbursement of briefcase or ladies purse to Government servants', etc. Any other expenditure which cannot be classified under any of these specified object heads will be debited to this head. It will also include expenditure in respect of schemes, sub-schemes or organisations not elsewhere classified.
(B) Capital Expenditure (Assets)			
Object Class-VI-Non-Financial Assets (Fixed and Intangible Assets)			
38.	51	Motor Vehicles	It will include procurement of motor vehicles on road like buses, cars, trucks, motorcycles, irrespective of their usage.
39.	52	Machinery and Equipment	It will include procurement of machinery and equipment (other than motor vehicles and ICT equipment), electrical and electronic equipment, medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks, musical instruments and sports goods etc., cost of which exceeds one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, need to be booked under this head.
40.	71	Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment	It will include procurement of information, computer, telecommunications (ICT) equipment such as computer hardware and telecommunications devices (computer / laptops, projectors, etc.) and computer software exceeding the threshold limit of one lakh rupees or 3 years of useful life, either of the two, electromagnetic spectrum which is used in the transmission of sound, data and television.
41.	72	Buildings and Structures	It will include office buildings, residential buildings, other buildings and structures like hospitals, laboratories, auditorium, light houses, shelters etc., public monuments like statues, fountains established at public places, and land improvement.
42.	73	Infrastructural Assets	It will include procurement of infrastructural assets such as roads, bridges, tunnels, irrigation projects, power projects, sports infrastructure, water and sewage projects, railway assets, ships, ports, satellites, satellite launch vehicles, airports, aircrafts, motor boats, railway locomotives and rolling stock, other infrastructural projects (include cable lines, sewage systems, rain water harvesting, solar systems, telecom towers, transmission lines and electricity towers, etc.).
43.	74	Furniture & Fixtures	It will include expenditure on purchase of furniture and fixture exceeding threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, for office use and functional use.
44.	75	Arms and Ammunitions (Capital)	It will include procurement of arms and ammunitions of capital nature.
45.	76	Upgradation Procurement of Heritage Assets and n.e.c.	It will include rehabilitation, overhaul, retrofitting of heritage asset recognised and recorded in the asset register at the nominal value of Rs. 1/- and upgradation 'not elsewhere classified'. It will also include expenditure on procurement of items of fine art and of cultural and archaeological importance.
46.	77	Other Fixed Assets	It will include procurement of other fixed assets like library books and publications, trees, crops and plants, whose natural growth and regeneration is under the direct control, responsibility and management of institutional units, non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, cart, trolleys, boat, etc.

Sr.No	Code	Object Head	Description / Definitions
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	78	Land	It will include land consisting of the ground, land for office and residential building, including the soil covering and any associated surface waters (reservoirs, lakes, rivers and other inland waters over which ownership rights can be exercised).
48.	79	Non-produced assets other than land	It will include mineral and energy reserves located on or below the surface of earth including deposits under the sea like oil, natural gas, coal, metallic ores including ferrous, non-ferrous and precious metal ores), non-metallic mineral reserves (including stone quarries, clay and sand pits, chemical and fertilizer mineral deposits, and deposits of salt, quartz, gypsum, natural gem stones, asphalts, bitumen, and peat), water resources, plants that yield both once-only and repeat products over which ownership rights are enforced but for which natural growth or regeneration is not under the direct control, responsibility, and management of any institutional units such as virgin forests and fisheries that are commercially exploitable.
49.	80	Intangible Assets	It will include expenditure on copy right, patents, goodwill, intellectual property, etc.
Object Class VI- Financial Assets			
50.	54	Investment	It will include investments made by the Government on purchase of shares and equity, investment in securities, investment in fixed and term deposits, and other investment.
51.	55	Loans and Advances	It will include loans and advances given by the Government.
52.	56	Repayment of borrowings	It will include repayment of borrowings by the Government.
53.	57	Subscription	It will include subscriptions made by the Government of capital nature.
54.	60	Other Capital expenditure	It will include all other capital expenditure which cannot be classified any of the above capital object head.
(C) - Accounting Adjustments			
Object Class VII-Accounting Adjustments			
55.	43	Suspense	It will include the amount kept under suspense heads for want of complete details for adjustment under final head of account.
56.	61	Depreciation	It will include depreciation charged on the assets by commercial departments.
57.	62	Reserves	It will include the provisions of reserves.
58.	63	Inter Account Transfers	It will be used for transfer of amount from one head to another
59.	64	Writes Off of Losses	It will include write off of irrecoverable loans, trading losses.
60.	69	Deduct Receipts	It will include amounts paid from the receipt heads by adjusting as reduction in receipts.
61.	70	Deduct Recoveries	It will be operated to adjust the overpayments in reduction of expenditure.

Note : The expenditure on improvement / up gradation of assets, which include rehabilitation, overhaul, retrofitting of assets and lease charges of land, buildings, equipment and other non-financial assets, the ownership of which is transferable to Government, will be booked under the object head class – Capital expenditure (Assets) against relevant assets.

- (4) The Finance Ministry may add to the primary units specified in the table under sub-rule (3) any other primary unit or prescribe an entirely different set of such units.
- (5) The departments of the Government of India shall keep in view the following with regard to the numeric codification for preparation of the Detailed Demands for Grants, namely :-
- (i) the number of tiers of classification in the Detailed Demands for Grants shall be the standard six tiers indicated in the table below:

Sl. No.	Type of Head	Codification
(1)	(2)	(3)
1.	Major Head	-4 digits(Function)
2.	Sub-major Head	-2 digits(Sub-function)
3.	Minor Head	-3 digits(Programme)
4.	Sub-head	-2 digits(Scheme)
5.	Detailed Head	-2 digits(Sub-scheme)
6.	Object Head	-2 digits(Primary unit of Appropriation or Object Head)

(ii) the numeric code numbers assigned by the Controller General of Accounts for Major, Sub-major, Minor Heads, Sub-heads and Detailed Heads for the Union and States shall be followed in the Detailed Demands for Grants;

(iii) the distinction between Revenue and Capital Expenditure shall be as defined in the Government Accounting Rules, 1990 and the General Financial Rules, 2017.

[F. No. 01(14)/2016-E.II(A)]

AVINASH K. NILANKAR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide S.O. No.2131 dated the 22nd July, 1978 and have subsequently been amended vide:-

(i)	Notification	No. S.O. 1187,	dated 9.6.1979
(ii)	"	No. S.O. 2942,	dated 1.9.1979
(iii)	"	No. S.O. 2611,	dated 4.10.1980.
(iv)	"	No. S.O. 2164	dated 15.8.1981.
(v)	"	No. S.O. 2304,	dated 5.9.1981.
(vi)	"	No. S.O. 3073,	dated 4.9.1982.
(vii)	"	No. S.O. 4171,	dated 11.12.1982.
(viii)	"	No. S.O. 1314,	dated 26.2.1983
(ix)	"	No. S.O. 2502,	dated 4.8.1984
(x)	"	No. S.O. 22,	dated 5.1.1985.
(xi)	"	No. S.O. 1958,	dated 11.5.1985.
(xii)	"	No. S.O. 3082,	dated 6.7.1985.
(xiii)	"	No. S.O. 3974,	dated 24.8.1985.
(xiv)	"	No. S.O. 5641,	dated 21.12.1985.
(xv)	"	No. S.O. 1548,	dated 19.4.1986.
(xvi)	"	No. S.O. 3183,	dated 20.9.1986.
(xvii)	"	No. S.O. 3787,	dated 8.11.1986.
(xviii)	"	No. S.O. 2508,	dated 19.9.1987.
(xix)	"	No. S.O. 3092,	dated 7.11.1987.

(xx)	"	No. S.O. 3581,	dated 10.12.1988.
(xxi)	"	No. S.O. 641,	dated 17.3.1990.
(xxii)	"	No. S.O. 1469,	dated 26.5.1990.
(xxiii)	"	No. S.O. 2173,	dated 18.8.1990.
(xxiv)	"	No. S.O. 3033,	dated 17.11.1990.
(xxv)	"	No. S.O. 3414,	dated 22.12.1990.
(xxvi)	"	No. S.O. 534,	dated 28.2.1991.
(xxvii)	"	No. S.O. 2235,	dated 24.8.1991.
(xxviii)	"	No. S.O. 547(E)	dated 24.7.1992.
(xxix)	"	No. S.O. 466,	dated 13.3.1993.
(xxx)	"	No. S.O. 1292,	dated 12.6.1993.
(xxxi)	"	No. S.O. 685,	dated 12.3.1994.
(xxxii)	"	No. S.O. 1232,	dated 28.5.1994.
(xxxiii)	"	No. S.O. 1945,	dated 13.8.1994.
(xxxiv)	"	No. S.O. 2451,	dated 24.9.1994.
(xxxv)	"	No. S.O. 174,	dated 28.1.1995.
(xxxvi)	"	No. S.O. 670(E),	dated 30.9.1996.
(xxxvii)	"	No. S.O. 665(E),	dated 5.8.1998.
(xxxviii)	"	No. S.O. 1835	dated 19.9.1998.
(xxxix)	"	No. S.O. 2274,	dated 14.8.1999.
(xxxx)	"	No. S.O. 3054,	dated 23.10.1999.
(xxxxi)	"	No. S.O. 2946,	dated 3.11.2001.
(xxxxii)	"	No. S.O. 3661,	dated 23.11.2002.
(xxxxiii)	"	F.I(11)-E.II(A)/03	dated 16.09.2003
(xxxxiv)	"	No. S.O. 1970	dated 14.7.2007
(xxxxv)	"	No. S.O. 1370	dated 29.5.2010
(xxxxvi)	"	No. S.O. 3624	dated 22.12.2012